रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML-2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 20 जून, 2005/30 ज्येष्ठ, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

कारण बताओ नोटिस

शिमला-171009, 9 जून, 2005

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) 59/2004-10381.—यह कि निवासीगण ग्राम पंचायत, बलोल द्वारा श्री रामधन, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत बलोल, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा के विरुद्ध की गई शिकायत पर प्रारम्भिक छानबीन खण्ड विकास अधिकारी, कांगड़ा द्वारा किये जाने पर निम्नलिखित आरोप सनक्ष आता है :—

1. निर्माण कार्य प्राथमिक पाठशाला सननी के मास अक्तूबर, 2002 के मस्ट्रोल क्रमांक 6 पर श्री हरलाल पुत्र श्री गोरखू राम को 30 दिन कार्य पर उपस्थित दर्शाकर उसके फर्जी हस्ताक्षरों द्वारा रु० 1800/- रुपये की धनराशि के छलहरण के आरोप में दोषी पाए गए हैं।

प्रारम्भिक छानबीन के दौरान उक्त आरोप में वास्तविकता पाए जाने के फलस्वरूप जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा द्वारा कार्यालय आदेश संख्या पंच-के0 जी0 आर0 ई0 (11) 23/91-3300-06, दिनांक 30-6-2004 को उप-प्रधान पद से निलम्बित किया ।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत मामले में नियमित जांच उप-मण्डल अधिकारी (ना0) कांगड़ा द्वारा की गई ।

यह कि जांच अधिकारी, द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट उपायुक्त, कांगड़ा के माध्यम से दिनांक 9-3-2005 को निदेशालय में प्राप्त हुई तथा जांच रिपोर्ट के दृष्टिगत यह पाया गया कि प्राथमिक पाठशाला सननी के निर्माण के लिये माह अक्तूबर, 2002 में मस्ट्रोल के श्री रूप लाल मजदूर के नाम 30 दिनों की दिहाड़ी की ऐवज में मु0 1800/- रुपये की अदायगी दर्शाई गई है। जबकि जांच के दौरान श्री रूप लाल ने इस तथ्य को नकारा है कि उसने इस कार्य हेतु मस्ट्रोल पर न तो कोई कार्य किया है और न ही कोई मजदूरी प्राप्त की है । इसके साथ-साथ जांच के दौरान श्री रामधन ने स्वयं स्वीकार किया है कि उन द्वारा इस कार्य में बतौर मजदूर कार्य किया और जब उन्हें यह पता चला कि वह पंचायत पदाधिकारी के रूप में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 उप-धारा (1) खण्ड (छ) के प्रावधानों के दृष्टिगत पंचायत में दैनिक सेवा में कार्य नहीं कर सकते तो मस्ट्रोल में अपनी जगह श्री रूप लाल का नाम दर्शाकर मु0 1800/- रुपये अनाधिकृत रूप से प्राप्त किए । इस तथ्य को नजर अंदाज करने के लिये उन्होंने उक्त 1800/- रुपये की राशि, ग्राम पंचायत की रसीद संख्या 3, दिनांक 1-6-2004 के द्वारा पंचायत निधि में जमा भी करवा दी जिससे स्पष्ट है कि उन्होंने इस आरोप को स्वयं ही मान लिया तथा आरोप सिद्ध पाया गया ।

अतः इस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से श्री रामधन को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अवसर दिया जाता है कि उपरोक्त कृत्यों के लिए क्यों न उन्हें उप-प्रधान के पद से निष्कासित किया जाए ।

श्री रामधन उप-प्रधान का उत्तर इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को पहुंच जाना चाहिए । निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं और इस सूरत में उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जायेगी । उप-मण्डलाधिकारी (ना0) कांगड़ा द्वारा की गई जांच रिपोर्ट संलग्न है ।

शिमला-171009, 9, जून, 2005

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(5) 59/2004-10388.—यह कि निवासीगण, ग्राम पंचायत, बलोल द्वारा श्रीमती सुदेश कुमारी प्रधान, ग्राम पंचायत, बलोल, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा के विरुद्ध की गई शिकायत पर प्रारम्भिक छानबीन खण्ड विकास अधिकारी, कांगड़ा द्वारा किये जाने पर निम्नलिखित आरोप समक्ष आए हैं :—

1. राजकीय प्राथमिक पाठशाला, सननी का पुराना भवन गिरा कर भवन सामग्री सामान की नीलामी मु0 6700/- रुपये में की गई दर्शाई गई है जबकि यह राशि मु0 11,200/- रुपये बनती है ? इस राशि को प्रधान द्वारा न तो पंचायत निधि में जमा करवाया गया तथा न ही पुराना भवन गिराने हेतु प्रधान द्वारा कोई प्रशासनिक स्वीकृति ली गई ;

2. निर्माण स्कूल कार्य मस्ट्रोल क्रमांक 6 पर श्री रूप लाल पुत्र श्री गोरखू राम का नाम दर्शाकर मु0 1800/- रुपये की फर्जी अदायगी करना ।

3. निर्माण रास्ता ट्रिका टिल्ला के लिये श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री गोरखु राम को मार्च, 2001 के मस्ट्रोल क्रमांक संख्या 2 पर फर्जी रूप से अंकित कर उन्हें की गई मु0 357 रुपये की अदायगी फर्जी दर्शाना ।

4. मास मई, 2001 में एक ही समय पर दो मस्ट्रोल मु0 14,943 रुपये व 5,355 रुपये पर एक ही व्यक्ति का नाम दर्ज करके मु0 4,284 रुपये की दोहरी अदायगी करना तथा इसी मस्ट्रोल पर श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री गोरखु राम को मु0 357/- रुपये की राशि रोकड़ में दर्ज न करना ।

प्रारम्भिक छानबीन के दौरान उक्त आरोपों में वास्तविकता पाए जाने के फलस्वरूप जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा द्वारा कार्यालय आदेश संख्या पंच–के0 जी0 आर0 ई0 (11) 23-9-3294–99 दिनांक 30-6-2004 द्वारा श्रीमती सुदेश कुमारी को प्रधान पद से निलम्बित किया गया ।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत मामले में नियमित जांच उप-मण्डल अधिकारी (ना0) कांगड़ा द्वारा की गई ।

यह कि जांच अधिकारी द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट उपायुक्त, कांगड़ा के माध्यम से दिनांक 9-3-2005 को निदेशालय में प्राप्त हुई तथा प्राप्त जांच रिपोर्ट में दर्शाये गये तथ्यों का बारीकी से अध्ययन करने उपरान्त जो आरोप श्रीमती सुदेश कुमारी के विरुद्ध सिद्ध पाये गये हैं, उनका विवरण निम्न है :—

1. निर्माण कार्य राजकीय प्राथमिक पाठशाला, सननी के गिराये जाने के फलस्वरूप सामग्री की नीलामी मु0 11,200/- रुपये में की जानी अपेक्षित थी जबकि उन द्वारा नीलामी सम्बन्धी प्रक्रिया को न अपना कर तथा बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर सामग्री को केवल मात्र 6700/- रुपये में बेच दिया । 6,700/- रुपये में से मु0 3,000/- रुपये की राशि का एक साल 9 माह तक दुरुपयोग किया तथा शेष बची मु0 3,700/- रुपये की राशि का कोई भी हिसाब किताब न देकर इस राशि का दुर्योजन किया है । जांच रिपोर्ट के दृष्टिगत उनके विरुद्ध लगाया आरोप स्पष्टतः सिद्ध होता है क्योंकि जांच अधिकारी के समुख वह अपना पक्ष रखने में विफल रही है ।

2. निर्माण स्कूल कार्य पर श्री रूप लाल पुत्र श्री गोरखु राम को मास, अक्तूबर, 2002 के मस्ट्रोल क्रमांक संख्या 6 पर 30 दिन की मजदूरी दर्शाकर फर्जी हस्ताक्षरों से निकाली गई मु0 1800/- रुपये की राशि के छलहरण के आरोप भी जांच रिपोर्ट के दृष्टिगत स्पष्टतः उनके विरुद्ध सिद्ध होते हैं ।

3. निर्माण रास्ता पक्का टिल्ला के लिये मस्ट्रोल मास मई, 2001 के क्रम संख्या 2 पर श्री प्रेम चन्द सुपुत्र श्री गोरखु राम को 1020/- रुपये की अदायगी दर्शाई गई है । जब कि श्री प्रेम चन्द ग्राम पंचायत सदस्य होने के नाते नियमानुसार पंचायत के कार्यों के लिये मजदूरी प्राप्त करने के हकदार नहीं थे । जिसके दृष्टिगत 640/- रुपये पंचायत निधि में जमा करवाये गये हैं जब कि शेष 380/- रुपये की वसूली नहीं की गई है जिससे स्पष्ट है कि मु0 640/- रुपये का दुरुपयोग तथा 380/- रुपये का छलहरण हुआ है । क्योंकि श्रीमती सुदेश कुमारी द्वारा बतौर प्रधान मस्ट्रोल इन्द्राजों का सत्यापन किया गया है । अतः यह सिद्ध होता है कि प्रधान, ग्राम पंचायत बलोल ने अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में घोर उपेक्षा की है ।

अतः श्रीमती सुदेश कुमारी प्रधान, ग्राम पंचायत, बलोल, जिला कांगड़ा द्वारा बरती गई उपरोक्त विभिन्न वित्तिय अनियमितताओं तथा अपने कर्त्तव्य निर्वहन में आपत्तिजनक कार्यकलाप के फलस्वरूप वह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) (ख) के अन्तर्गत अवचार की दोषी पाई गई है ।

अतः इस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से श्रीमती सुदेश कुमारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर दिया जाता है कि उपरोक्त कृत्यों के लिए क्यों न उन्हें प्रधान पद से निष्कासित किया जाये ।

श्रीमती सुदेश कुमारी प्रधान, ग्राम पंचायत, बलोल जिला कांगड़ा का उत्तर इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर अधोहस्ताक्षरी को पहुंच जाना चाहिए। उत्तर निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहती तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। उप-मण्डलाधिकारी (ना0) कांगड़ा द्वारा की गई जांच रिपोर्ट संलग्न है।

अधिसूचना

शिमला-171009, 9 जून, 2005.

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 बी0 (1) 1/03.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश व हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुमोदन से, पंचायती राज विभाग में कार्यरत निम्न जिला अंकेक्षण अधिकारी/प्रशिक्षक तथा अधीक्षक ग्रेड-II के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को जिला पंचायत अधिकारी (राजपत्रित श्रेणी-I) के पद पर वेतनमान 7000-220-8100-275-10300-340-10980 में नियमित रूप से पदोन्नत कर उनके नामों के आगे दर्शाए गए कार्यालयों में पदस्थ करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं :—

क्रमांक	कर्मचारी का नाम व पद	वर्तमान तैनाती स्थान	पदोन्नति उपरान्त तैनाती स्थान
1.	श्री जोगिन्द्र कुमार शर्मा, जिला अंकेक्षण अधिकारी/प्रशिक्षक।	जिला पंचायत अधिकारी (स्थानापन्न) शिमला।	जिला पंचायत अधिकारी, शिमला।
2.	श्रीमती रामकली, अधीक्षक ग्रेड-II	जिला पंचायत अधिकारी, कार्यालय शिमला।	जिला पंचायत अधिकारी, ऊना।

उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी, पदोन्नत पद का कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष तक परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

यह पदोन्नति उच्चतम न्यायालय द्वारा सी0 डब्ल्यू0 पी0 संख्या 61/62-2002 में अन्तिम निर्णय पर निर्भर होगी।

पदोन्नति अधिकारियों को उक्त पद पर पदोन्नति उपरान्त उपस्थिति देने के एक मास के भीतर-भीतर मूल नियम 22-1(ए) 1 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा, निश्चित अवधि के उपरान्त कोई भी विकल्प स्वीकार्य नहीं होगा।

सम्बन्धित पदोन्नत अधिकारी को जिला पंचायत अधिकारी के पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के नियम-17 अनुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा उन्हें आगामी उच्च पद पर पदोन्नति, स्थाईकरण तथा प्रवीणता वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने सम्बन्धी मामलों हेतु नहीं विचार जाएगा।

उपरोक्त पदोन्नत अधिकारियों में से क्रम सं0 2 पर अंकित अधिकारी को नियमानुसार यात्रा भत्ता तथा कार्यग्रहण समय देय होगा।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव (पंचायत)।

कारण बताओ नोटिस

शिमला–171009, 10 जून, 2005

संख्या पी0 सी0 एच0-एच ए0(5) 31/2005-10457.— यह कि जिला पंचायत अधिकारी, किन्नौर स्थित रिकांगपिओ, जिला किन्नौर ने उनके कार्यालय पत्र संख्या कनर–2005–7548, दिनांक 5-4-2005 के अन्तर्गत सूचित किया कि आप दिनांक 27-8-2001, 17-12-2001 तथा 28-3-2005 को आयोजित जिला परिषद् की बैठकों से बिना सूचना दिए लगातार अनुपस्थित रहे । इसके अतिरिक्त आप द्वारा दिनांक 28-3-2005 को हुई जिला परिषद् की बैठक में भाग न लेने के बावजूद भी अगले दिन अर्थात् 29-3-2005 को कार्यवाही रजिस्टर के क्रम संख्या 10 पर, जहां जे0 पी0 कम्मनो के श्री ए0 के0 श्रीवास्तव के हस्ताक्षर थे, उसके ऊपर हस्ताक्षर कर अपनी झूठी उपस्थिति दर्ज की है । इस प्रकार आपने जिला परिषद् की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रह कर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(ख) की उल्लंघना की है ।

अतः हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1)(ख)(2) के प्रावधान अनुसार आपको इस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि क्यों न हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम के उक्त प्रावधान अनुसार सदस्य, जिला परिषद्, किन्नौर के पद को रिक्त घोषित कर आपको पद से हटाया जाये । आप इस कारण बताओ नोटिस का उत्तर नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर दें । आपका उत्तर निर्धारित अवधि में आप न देने पर यह समझा जाएगा कि आप अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते तदोपरान्त आपके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।

हस्ताक्षरित/-
निदेशक, पंचायती राज विभाग, ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित